

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

136/2023

नरसीराम पुत्र जुगलाल जाति मेघवाल निवासी चनाण तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट  
उपस्थिति :- श्री प्रहलाद शीला प्रार्थी  
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 4/3/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चनाण के खाता सं० 70/20 के खसरा सं० 143/1, 153 कुल 1.0500 है० बारानी खातेदारी में नरसिंह के नाम 1/42 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा चनाण के खाता सं० 69/19 के खसरा सं० 99/2 की 5.1480 है० बारानी खातेदारी में नरसिंह के नाम से 1/36 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त दोनों खातों में प्रार्थी का सही नाम नरसी राम पुत्र जुगलाल के स्थान पर अशुद्ध नाम नरसिंह पुत्र जुगलाल दर्ज है,

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नरसी राम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चनाण के खाता सं० 70/20 के खसरा सं० 143/1, 153 कुल 1.0500 है० बारानी खातेदारी में नरसिंह के नाम 1/42 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा चनाण के खाता सं० 69/19 के खसरा सं० 99/2 की 5.1480 है० बारानी खातेदारी में नरसिंह के नाम से 1/36 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम नरसी राम पुत्र जुगलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम नरसिंह पुत्र जुगलाल दर्ज है, अतः प्रार्थी का नाम नरसिंह पुत्र जुगलाल के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम नरसी राम पुत्र जुगलाल दर्ज किया जावे ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा ग्राम पंचायत सरपंच रिपोर्ट व तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Kalpit  
निर्णय (राजस्व)  
तहसीलदार भादरा

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चनाण के खाता सं० 70/20 के खसरा 43/1, 153 कुल 1.0500है० बारानी खातेदारी में नरसिंह के नाम 1/42 हिस्सा व इसी रोही मौजा चनाण के खाता सं० 69/19 के खसरा सं० 99/2 की 5.1480है० बारानी दारी में नरसिंह के नाम से 1/36 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नरसीराम के स्थान पर पर अशुद्ध नाम नरसिंह पुत्र जुगलाल दर्ज है, रोही चनाण के खाता सं० 70/20 व खाता सं० 69/19 में प्रार्थी का नाम नरसिंह पुत्र जुगलाल की जगह जो नाम नरसी राम पुत्र जुगलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं दे कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अंकन किया जावे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा थवा कोई बकाया देय आदि नरसिंह पुत्र जुगलाल के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम नरसिंह पुत्र जुगलाल ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक ...५/३/१५... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरान)  
R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उन्नादरा जिला (हनुमानगढ़)  
भारत (जिला-हनुमानगढ़)